कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांक /7–पं0/शि0लि0/2020–21/दिनांक 13-08-2020

समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0)
जनपद–फतेहपुर।

विषय–15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद–फतेहपुर के ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त के घोषणा व कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठको व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादो के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ लें, जिसके कम में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय फतेहपुर के पत्र संख्या मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2020–21–1280 दिनांक 10.08.2020 के द्वारा 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद–फतेहपुर के ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त के घोषणा व कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठको व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादो के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

आप अवगत है कि धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते है तथा थूकने हेतु प्रेरित करते है। जिससे कोविड–19 का संक्रमण फैलने का खतरा बढता है।

अतः कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों की बैठको व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादो के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्धित कोटपा अधिनियम–2003 के अन्तर्गत जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही की जाये, तथा अपने विकास खण्ड की 05 ग्राम पचांयतो को तम्बाकू मुक्त घोषित कराना सुनिश्चित करें, तथा इस पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र के अनुसार वांछित सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में शीघ्र ही उपलब्ध कराये। स्मरण रहे कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है किसी प्रकार की लापरवाही के लिये आप उत्तरदायी होगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अजय आनन्द सरोज)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
फतेहपुर।

पत्रांक 1018 /उक्तदिनांक

प्रतिलिपि–
1. जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय फतेहपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय फतेहपुर के पत्र संख्या मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2020–21–1280 दिनांक 10.08.2020 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
6. अधिशासी निदेशक यू.पी. वी. एच. उ.प्र. लखनऊ

जिला पंचायत राज अधिकारी,
फतेहपुर।